राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता

क्रमांक प15 (1) ( ) निमअ/SHG/स्वावलंबन/2012–13//1431-63 जयपुर दिनांक 15-1-13

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त

विषय–स्वावलंबन योजनान्तर्गत समाचार पत्रों में जारी विज्ञप्ति अनुसार प्रस्ताव प्राप्त करने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत स्वावलंबन योजना अंतर्गत समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की जा रही है। उक्त योजना के आवेदन पत्र का प्रारूप संशोधित समस्त दिशा–निर्देशों, चेक लिस्ट, विभिन्न ट्रेडो के लागत विवरण, विज्ञप्ति की प्रति पत्र के साथ भिजवाई जा रही है। आवेदन पत्र निदेशालय द्वारा सीधे ही विज्ञप्ति में अंकित अंतिम तिथि 24 जनवरी 2013 को सायं 5.00 बजे तक व्यक्तिशः/डाक द्वारा प्राप्त किये जाऐगे। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जाए।

संलग्न– मूल आवेदन पत्र एवं अन्य संलग्न

अतिरिक्त निदेशक (SHG)
महिला अधिकारिता
राज., जयपुर

क्रमांक प15 (1) ( ) निमअ/SHG/स्वावलंबन/2012–13//1464-533 जयपुर दिनांक 15-1-13
प्रतिलिपि–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त
2. कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता समस्त
3. लेखा शाखा/सहायक सांख्यिकी अधिकारी, महिला अधिकारिता
4. प्रोग्रामर, वेब साईड पर अपलोड करने हेतु ।

AD(SHG)

Office.letter-2012.1June.letter-2012/43

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय महिला अधिकारिता

स्वावलम्बन योजना
(2012–2013)

स्वावलम्बन योजना का उद्देश्य निर्धन, विधवा, परित्यक्ताओं एवं पिछड़ी महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना है। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को पारम्परिक तथा गैर पारम्परिक व्यवसायों हेतु विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से आयजनक गतिविधियों में प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार की ओर अग्रसर किया जाता है। महिलाओं को स्वरोजगार तक ले जाने के लिए फॉलोअप/हैंड होल्डिंग भी कराई जाती है। उक्त योजनांतर्गत निम्न गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया जाता है–

क. स.	गतिविधि का नाम	अवधि दिवस में (प्रति प्रशिक्षण दिवस 4 घंटे)	प्रति बैच लाभार्थी	कुल व्यय
1	रेडीमेड गारमेन्टस (पुरूष)	60 दिवस	30	51150
2	रेडीमेड़ गारमेंन्टस (महिला)	60 दिवस	30	51150
3	कसीदाकारी (मशीन/हाथ)	30 दिवस	30	31350
4	रेग्जीन बैग्स/कपड़े के बैग बनाना	45 दिवस	30	31350
5	साफ्ट टॉयज	30 दिवस	30	26400
6	ब्यूटीशियन	60 दिवस	20	46750
7	जरी–शिल्प	45 दिवस	30	37950
8	पैचवर्क	45 दिवस	30	37950
9	आरी तारी वर्क	60 दिवस	30	46200
10	चमड़े का फैन्सी सामान बनाना	30 दिवस	20	26950
11	खाद्य प्रसंस्करण (कोई 5 प्रसंस्करण)	30 दिवस	30	31350
12	बांस/फाईबर से निर्मित कलात्मक वस्तुएं	30 दिवस	30	34650
13	टाई एण्ड डाई	45 दिवस	30	34650
14	जूते/जूतियां बनाना	45 दिवस	20	42900
15	ज्वेलरी मेकिंग एण्ड डिजाइनिंग	45 दिवस	30	38500
16	लाख से निर्मित चूडीयां एवं कलात्मक वस्तुएं	30 दिवस	20	28050
17	मार्बल एवं कल्चर मार्बल से निर्मित कलात्मक वस्तुएं (stone painting)	45 दिवस	20	37950
18	मसाले बनाना एवं पेकेजिंग	15 दिवस	30	16500

19	हेंडमेड पेपर/उत्पाद निर्माण	30 दिवस	30	34650
20	Executive bag बनाना	30 दिवस	30	34650
21	पेपर मेशी उत्पाद निर्माण	30 दिवस	30	34650
22	मशरूम खेती	15 दिवस	30	18150
23	आंवला खाद्य प्रसंस्करण	15 दिवस	30	18150
24	लकड़ी की कलात्मक वस्तुएं	60 दिवस	20	43450
25	हस्त निर्मित ब्लॉक प्रिन्टिंग	45 दिवस	30	37950
26	सेनेट्री नेपकीन	15 दिवस	20	18700
27	मार्केटिंग, सेल्स एवं प्रचार (वेंडर डवलपमेंट)	60 दिवस	30	41250
28	महिला मोटर ड्राइविंग	60 दिवस	30	51150
29	हाउस कीपिंग	30 दिवस	30	29700
30	फीमेल गार्ड	30 दिवस	30	29700
31	पत्तल/दोने निर्माण कार्य	15 दिवस	20	16500
32	विविध प्रशिक्षण/नवाचार गतिविधि			

- उपरोक्त ट्रेड्स की अवधि एवं राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर अंकित है –

योजना का उद्देश्य

योजना के अन्तर्गत महिलाओं को परम्परागत तथा गैर परम्परागत व्यवसायों में आयजनक प्रशिक्षण दिलवाकर उन्हे लिए स्वरोजगार की ओर अग्रसर कर आत्मनिर्भर बनाना है।

क्रियान्वयन अभिकरण

यह योजना सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, विश्व विद्यालयों/सरकारी/गैर–सरकारी संगठन/महिला स्वयं सहायता समूह संस्थान/महिला स्वयं सहायता समूहों/प्रन्यास/सहकारी समितियों के माध्यम से क्रियान्वित की जायेगी।

लक्षित वर्ग/लाभार्थी

- 30%एकल नारी/विधवाएं/एड्स पीड़ित/परित्यक्ता महिलाएं।
- पिछडे तबकों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं, स्वयं सहायता समूह सदस्य एवं किशोरी बालिकाएं

क्रियान्वयन अभिकरण की पात्रता

1 संस्था के पंजीकरण के बाद जिस क्षेत्र में वह कार्य करना चाहती है उसमें कम से कम तीन वर्ष का स्वरोजगार गतिविधियों का अनुभव हो।

2 संस्था महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु कार्यरत हो।

3 प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त स्थल, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण स्थल पर सुगम माहौल एवं समस्त संसाधन होना आवश्यक होगा।

4 संस्था द्वारा प्रस्तावित गतिविधि से संबंधित समस्त आधारभूत सुविधाएं तथा आवश्यक मशीनरी उपकरण (स्वयं संस्था अथवा किराये की) होना अति आवश्यक है।

5 संस्था के पास गत तीन वर्ष का टर्न ओवर प्रतिवर्ष न्यूनतम एक लाख होना आवश्यक है।

6 संस्था द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षकों का संबंधित ट्रेड में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र तथा उसकी सहमति संलग्न करना आवश्यक होगा।

7 राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुरूप कार्य नहीं किया जाना पाये जाने अथवा अनियमितता पाये जाने की स्थिति में संस्था को दिया गया अनुदान लौटाना होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में राज्य स्तरीय Empowered Committee का निर्णय अंतिम होगा।

8 संस्था को स्वावलम्बन योजनान्तर्गत प्रस्तावित गतिविधि के आय–व्यय का पृथक से ब्यौरा अनिवार्य रूप से रखना होगा।

9 योजनान्तर्गत संस्था द्वारा विभाग को दिए गए प्रस्ताव में शामिल की गई लाभान्वितों की सूची का सत्यापन प्रशिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व जिले के उपनिदेशक म.बा.वि. से कराना अनिवार्य होगा तथा लाभांन्वितो की सूची में संशोधन की आवश्यकता होने पर उपनिदेशक की सहमति से किया जा सकेगा।

10. संस्था की कुल चल–अचल सम्पत्ति का ब्यौरा विस्तृत एवं स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना अति आवश्यक है।

11. क्रियान्वयन संस्था यदि महिला स्वयं सहायता समूह हो तो –
- समूह तीन वर्ष पुराना हो।
- समूह आयजनक गतिविधि में संलग्न हो।
- प्रस्तावित गतिविधि के बजट के बराबर राशि आन्तरिक ऋण/बैंक में जमा हो।

आवेदन प्रक्रिया–

1 निदेशालय द्वारा संस्थाओं से आवेदन प्राप्त करने हेतु दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित की जाएगी।

2 इस कार्य हेतु इच्छुक संस्थाओं को आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर प्रस्ताव सहित (एक प्रति में) निर्धारित अन्तिम तिथि तक निदेशालय महिला अधिकारिता, झालाना, जयपुर में यथा समय 250 रू. का डी.डी. आयुक्त, महिला अधिकारिता, जयपुर के नाम देय अपने आवेदन के साथ जमा कराना होगा।

3. एक स्वयं सेवी संस्था विज्ञप्ति में अंकित जिले के लिए एक ही गतिविधि हेतु आवेदन कर सकती है।

चयन प्रक्रिया–

1 निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की जांच विभागीय सशक्तिकरण समिति (Empowerment Committee) द्वारा विचार किया जाकर अंतिम रूप से संस्थाओं का चयन किया जायेगा।

2 स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की स्थिति में उनके द्वारा तैयार किये जा रहें उत्पादों की गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर ही उन्हें प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा।

अन्य शर्ते/निर्देश–

1. संस्था को कार्यादेश मिलने के पश्चात् संबंधित जिले के उपनिदेशक से प्रशिक्षणार्थियों की सूची का मौके पर सत्यापन कराये जाने के पश्चात् ही प्रशिक्षण आरंभ किया जाए।
2. संस्था को अपने आवेदन पत्र के साथ प्रशिक्षण स्थल पर पहुँचने का पूर्ण पता, प्रशिक्षण सेंटर किराये की स्थिति में होने पर भवन मालिक का नाम तथा संस्था से सम्पर्क हेतु दूरभाष एवं मोबाइल नंबर भी प्रस्तुत करना होगा।
3. प्रशिक्षण आरंभ होने के साथ ही संस्था को प्रशिक्षण स्थल के बाहर बैनर/बोर्ड लगाना आवश्यक होगा जिसमे प्रशिक्षण का विवरण एवं तिथि का लेख किया गया हो।
4. प्रशिक्षण की अवधि प्रति प्रशिक्षण दिवस कम से कम 4 घंटे होगी।
5. संस्था द्वारा प्रशिक्षण समाप्ति के 6 माह बाद तक प्रशिक्षणार्थीयों से निरंतर सम्पर्क कर उन्हें स्वरोजगार कार्य प्रारंभ करने में आ रही समस्याओं का निदान करवाते हुए स्वरोजगार सुनिश्चित करने हेतु फॉलोअप/हैंड–होल्डिंग की जायेगी।
6. संस्था द्वारा प्रस्तावित गतिविधि के अंतर्गत प्रशिक्षण में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल से निर्मित सामग्री संस्था की सम्पति होगी, किन्तु प्रशिक्षण समाप्ति पश्चात् प्रशिक्षण की तकनीकी दक्षता एवं गुणवत्ता जांचने के लिए श्रेष्ठ डिजाईन सैम्पल विभाग को भेजना आवश्यक होगा।

भुगतान प्रकिया

संस्था द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण का समय–समय पर निदेशालय के अधिकारियो एवं **जिले के उपनिदेशक मबावि तथा कार्यक्रम अधिकारी** द्वारा निरीक्षण किया जावेगा। प्रशिक्षण संतोषप्रद एवं निर्धारित प्रकिया अनुसार संपन्न होने के प्रमाणन के बाद जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा संस्था को भुगतान निम्नानुसार किया जावेगा–

1. प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत राशि का 25 प्रतिशत का भुगतान संस्था को प्रशिक्षण हेतु कार्य आरंभ करने पर किया जायेगा।
2. द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत राशि का 65 प्रतिशत का भुगतान प्रशिक्षण सुचारू एवं संतोषप्रद तरीके से सम्पूर्ण होने पर उपनिदेशक अथवा कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निम्न समस्त सूचनाएं प्राप्त होने के पश्चात् किया जायेगा –
   - प्रशिक्षण का स्थान
   - प्रशिक्षण आयोजित तिथि (कब से कब तक)
   - प्रशिक्षणार्थी/मास्टर काफ्टमेन/सहायिका की उपस्थिति
   - प्रशिक्षणार्थीयों की सूची जिसमें न्यूनतम 30 प्रतिशत विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाएं हो।
   - प्रशिक्षण के दौरान तैयार किया गया श्रेष्ठ सैम्पल (गुणवत्ता जांचने के लिए)
   - उपयोगिता प्रमाण पत्र (सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार)

- योजना की प्रस्तावित ट्रेड की निर्धारित लागत अनुसार प्रशिक्षण में मदवार व्यय की गई राशि का विवरण एवं संबंधित समस्त बिल क्रमवार संलग्न हो।

3. तृतीय किश्त के रूप में स्वीकृत राशि का 10 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रशिक्षण पश्चात संस्था द्वारा 6 माह तक फॉलोअप/हैंडलोडिंग कर 60 प्रतिशत से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को कम से कम 1100/- रूपये प्रतिमाह आयअर्जन की स्थिति में लाने पर किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण संस्था द्वारा संबंधित जिले के उपनिदेशक अथवा कार्यक्रम अधिकारी को दिया जाएगा। जिसका प्रमाणीकरण उपनिदेशक अथवा कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

परिणाम –

स्वावलंबन योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को "आत्मनिर्भरता" तक ले जाने हेतु संस्था द्वारा उन्हें स्वरोजगार से जोडा जायेगा तथा प्रशिक्षण समाप्ति से 6 माह तक महिलाओं का निरंतर हैंडहोल्डिंग(Followup) भी किया जायेगा, जिससे महिलाओं को स्वरोजगार की प्रांरभिक अवस्था (6 माह) में आने वाली समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा तथा महिलाएं निरंतर स्वरोजगार से जुडकर आत्मनिर्भर बन सकेगी।

स्वावलम्बन योजना हेतु आवेदन पत्र

2012–13

आवेदन पत्र कमांक ....

I क्रियान्वयन अभिकरण का ब्यौरा

1 संगठन का नाम ______________________

2 आवेदन की दिनांक ______________________

3 पूर्ण पता पिन कोड सहित ______________________

____

4 दूरभाष ______________________

फैक्स नम्बर ______________________

____

ई–मेल ______________________

5 संगठन की किस्म (गैर–सरकारी संगठन/सार्वजनिक उपक्रम या अन्य) ______________________

6 संस्था द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम ______________________

7 संस्था का पंजीयन का कमांक व दिनांक ______________________

8 संगठन का उद्देश्य (संलग्न करें) ______________________

9 संस्था के अंकेक्षित लेखों का विवरण टर्न ओवर (गत तीन वर्ष का संलग्न करें)

क.स.	वर्ष	राशि
1	2011–12	
2	2010–11	
3	2009–10	

10 संगठन का अनुभव (महिला एवं बाल विकास तथा आयजनक गतिविधियों में अनुभव, वार्षिक रिपोर्ट या अन्य सम्बद्ध दस्तावेज संलग्न करे)

2009–10 ______________________

2010–11 ______________________

2011–12 ______________________

11 क्या संगठन पहले से राज्य सरकार या किसी योजना के तहत सहायता प्राप्त कर रहा है। यदि हां तो विवरण दे

____

____

II गतिविधि का ब्यौरा, जिसके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

1 जिला (ब्लाक) जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है ————————

2 आयोत्पादक गतिविधि का नाम ————————————————
एवं योजना की सूची में क्रम संख्या ————————————————

3 प्रशिक्षण हेतु संसाधन/उपकरण (विवरण संलग्न करें) ————————

4 स्थान, जहां पर गतिविधि संचालित की जावेगी का पता स्वयं का भवन/किराये का भवन का साक्ष्य संलग्न करें ————————————————

5 दिवसवार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (संलग्न करें) ————————————

6 पदाधिकारी एवं स्टाफ की सूची (संलग्न करें) ————————————

7 प्रशिक्षकों का योग्यता प्रमाण पत्र (बायोडाटा) एवं सहमति पत्र संलग्न करें
————————————————————————————

8 प्रशिक्षण के पश्चात महिलाओं को स्वरोजगार से किस प्रकार जोडा जाएगा, विवरण देवें तथा स्वरोजगार सुनिश्चिता प्रमाण पत्र भी संलग्न करें
————————————————————————————
————————————————————————————

9 प्रशिक्षणार्थीयों की सूची संलग्न करें ————————————————

10 संस्था को महिला विकास क्षेत्र में एवं प्रस्तावित ट्रेड में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता विवरण
————————————————————————————
————————————————————————————

11 अन्य विवरण ————————————————————————

III परियोजना की लागत ट्रेड अनुसार मद

क्र.स.	मदवार व्यय	संख्या	भुगतान राशि
(i)	मास्टर क्राफ्टमैन/डिजाईनर	1	
(ii)	सहायक	1	
(iii)	कच्चा माल		
(iv)	प्रशिक्षण स्थल का किराया		
(v)	विविध व्यय		
(vi)	बिजली/पानी/टेलिफोन/किराया व अन्य		
(vii)	डाक एवं स्टेशनरी पर व्यय		
(viii)	डाक्यूमेंटेशन		
(ix)	प्रशासनिक व्यय (लागत का 10 प्रतिशत)		
	Total -		

संस्था द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम ....
पद ....

स्वावलंबन योजना अंतर्गत प्रस्ताव हेतु चैक लिस्ट

क.स.	विवरण		पृष्ठ सं. पर संलग्न
1	स्वयंसेवी संस्था का नाम		
2	जिला(ब्लॉक) जिसके लिये आवेदन किया गया है।		
3	गतिविधि का नाम(ट्रेड)		
4	कम से कम 3 वर्ष पुराना पंजीकरण प्रमाण पत्र (वर्ष)		
5	गत 3 तीन वर्षो की अंकेक्षण रिपोर्ट (संग्लन) (हां/नहीं)	09–10	
		10–11	
		11–12	
6	गत 3 वर्ष का टर्नऑवर प्रतिवर्ष	09–10	
		10–11	
		11–12	
7	दिवसवार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम		
8	गत 3 वर्षो की वार्षिक रिपोर्ट	09–10	
		10–11	
		11–12	
9	प्रशिक्षकों का बायोडेटा एवं योग्यता प्रमाण पत्र		
10	प्रशिक्षकों का सहमति पत्र		
11	स्वयं के भवन का साक्ष्य		
12	भवन किराये पर होने की स्थिति में किराया नामा/ बिजली का बिल		
13	प्रशिक्षित महिलाओं को रोजगार सुनिश्चितता प्रमाण पत्र		
14	एसएचजी सदस्यों/विधवा/ एकल नारी/ परित्यक्ता/एडस पीडिता की सूची		
15	संस्था का महिला विकास के क्षेत्र में एवं प्रस्तावित ट्रेड में पर्याप्त अनुभव, दक्षता		

संस्था प्रभारी

D:\EDcumAD07-08\Note\NORADlistfinal10

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता

क्रमांक पं.15 (1)()निमअ/एसएचजी/स्वावलंबन/12-13/1259 जयपुर, दिनांक 11/1/13

कार्यादेश

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए स्वावलम्बन योजनान्तर्गत निम्न 19 स्वयं सेवी संस्थाओं को निम्नानुसार प्रशिक्षण आयोजित कराने के कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क्र. स.	स्वयंसेवी संस्था (NGO) का नाम	ब्लाक	जिला	प्रशिक्षण दिये जाने का ट्रेड	ट्रेड की लागत	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं की स.	प्रशिक्षण की अवधि (दिवस में)	प्रथम किश्त 25%	द्वितीय किश्त 65%	तृतीय किश्त 10%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सुगम शिक्षण संस्थान, गहनकर प0स0 तिजारा,(अलवर) पि0को0-301405	कोट कासिम	अलवर	ब्यूटीशियन	46750	20	60days	11687	30388	4675
2	राजस्थान इन्टीग्रेटेड डवलपमेन्ट सोसायटी, 168-बी, गली न0-8, मोहल कॉलोनी, बांसवाड़ा-327001	गढी	बांसवाड़ा	रेगजीन बैग्स/कपड़े के बैग बनाना	31350	30	30 days	7838	20377	3135
3	अन्तोदय सेवा संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय, पंचायत समिति के सामने, बायतु बाड़मेर	बायतु	बाड़मेर	रेगजीन बैग्स/कपड़े के बैग बनाना	31350	30	30 days	7838	20377	3135
4	सरोज महिला जागृति एवं शोध संस्थान, ए-35 मौसम विभाग के सामने, मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर	बीकानेर	बीकानेर	रेडीमेड गारमेन्टस महिला	51150	30	60 days	12787	33248	5115
5	प्रज्ञा विद्यापीठ खारिया कुआं नई पानी की टंकी के पास गोगा गेट बीकानेर	कोलायत	बेकानेर	रेडीमेड गारमेन्टस महिला	51150	30	60 days	12787	33248	5115
6	जागृति सेवा संस्थान, 12-ए पंचवटी सेटी, चित्तौड़गढ़	बड़ी सादड़ी	चित्तौड़गढ़	रेडीमेड गारमेन्टस महिला	51150	30	60 days	12787	33248	5115
7	महरड़ा रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट संस्थान, इन्दरा कॉलोनी, वार्ड न0- 7, सुजानगढ़, जिला-चूरू, पि0-331507	सुजानगढ़	चूरू	ब्यूटीशियन	46750	20	60days	11687	30388	4675
8	उपकार सेवा समिति, ग्रा0पो0-डौलिका, त0-सिकराय, जिला-दौसा	सिकराय	दौसा	ब्यूटीशियन	46750	20	60days	11687	30388	4675
9	विद्या जनजागरण संस्थान, जगदीश टाकीज के पीछे, धौलपुर-328001	धौलपुर शहर	धौलपुर	ब्यूटीशियन	46750	20	60days	11687	30388	4675
10	विश्व भारती ग्रामोत्थान संस्थान, नजदीक रेल्वे स्टेशन, हाथीपुर, वार्ड न0-5, भादरा	भादरा	हनुमानगढ़	ब्यूटीशियन	46750	20	60days	11687	30388	4675

11	अंगना सोसायटी, ए–41 विद्यालय मार्ग, तिलक नगर जयपुर	जयपुर द्वितीय	जयपुर	ज्वैलरी बॉक्स	55550	32	60 days	13887	36108	5555
12	सांस्कृतिकी कल्चरल सोसायटी, 8–बी बृज कॉलोनी, चम्बल पॉवर हाउस, सिविल लाइंस, जयपुर	जयपुर चतुर्थ	जयपुर	जैम स्टोन, छटाई एवं पुवाई	46750	20	60 days	11687	30388	4675
13	चाणक्य युवा संघ, 10/13 सेक्टर–1, प्रताप नगर, सांगानेर–जयपुर	जमावा रामगढ़	जयपुर	आरातारी	46200	30	60 days	11550	30030	4620
14	पर्यावरण एवं ग्रामीण विकास समिति, शहीद स्मारक, कलेक्ट्रट के पास, झुंझुनूं	झुंझुनूं शहर	झुंझुनूं	ब्यूटीशियन	46750	20	60 days	11687	30388	4675
15	दुर्गा महिला विकास समिति, रंगपुर रोड, क्र0–4 कोटा	कोटा शहर	कोटा	पेपर मेशी	34650	30	30 days	8662	22523	3465
16	जुड़ाव एस.एच.जी. सोडानी हवेली, वार्ड नं0–17 लक्ष्मणगढ सीकर	लक्ष्मणगढ	सीकर	रेगजीन बैग्स/कपड़े के बैग बनाना	31350	30	30 days	7838	20377	3135
17	बहुउद्देशीय महिला विकास प्रशिक्षण संस्थान, सूरजपोल अन्दर जनता मार्ग खटिक बाड़ा, उदयपुर	उदयपुर शहर	उदयपुर	ब्यूटीशियन	46750	20	60 days	11687	30388	4675
18	लक्ष्मी गृह उद्योग सहकारी समिति लि., (महिला), समता मार्ग, नई आबादी, प्रतापगढ,–312605	प्रतापगढ	प्रतापगढ	ज्वैलरी मैकिंग	38500	30	45 days	9625	25025	3850
19	आशा विकास समिति, सुमलियाइ, आसनी रोड, जैसलमेर	सम	जैसलमेर	सॉफ्ट टॉयज	26400	30	30 days	6600	17160	2640
	Total				**822800**			**205695**	**534825**	**82280**

शर्तें–

1 संबंधित संस्था को प्रशिक्षण कार्यादेश प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर कार्य प्रारम्भ कर सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाई जानी होगी। प्रशिक्षण प्रारंभ किये जाने से पूर्व संबन्धित स्वयंसेवी संस्था प्रशिक्षण प्रारंभ करने की तिथि, स्थान एवं स्थान के पते से संबंधित उपनिदेशक, मबावि/कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. को सूचित किया जावे तथा उपनिदेशक, मबावि/कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. द्वारा निदेशालय को इस सूचना से शीघ्र अवगत कराया जावेगा। उपनिदेशक, मबावि/कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. यह सुनिश्चित करें कि उनके जिले के लिये चयनित एक से अधिक संस्थाएं अपने प्रशिक्षण किसी एक ही स्थान/ब्लाक में आयोजित नहीं करें बल्कि संस्थाओं को जिले के विभिन्न स्थानों/बस्तियों की मांग के अनुसार आयोजित करने हेतु निर्देशित करें।

2 प्रशिक्षणार्थियों, मास्टर क्राफ्ट्समेन एवं सहायक की प्रति दिवस की उपस्थिति पंजिका संधारित की जावे।

3 प्रशिक्षण में कच्चे माल की पर्याप्त उपलबधता रखी जावे।

4 प्रशिक्षण हेतु महिलाओं का चिन्हिकरण संबंधित NGO द्वारा स्वयं के स्तर से किया जाएगा, प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व जिसका प्रमाणन संबंधित उपनिदेशक, मबावि/कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. से करवाय जावे।

5 ट्रेड वाईज निर्धारित संख्या से कम या अधिक प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण बैच स्वीकार्य नहीं होगें।

6 प्रशिक्षणार्थियों के प्रत्येक बैच में 30 में से 10 लाभार्थी विधवा/परित्यक्ता/ तलाकशुदा वर्ग से अनिवार्य रूप से शामिल किये जावे। प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बढने की स्थिति में कुल प्रशिक्षणार्थियों में से 30 प्रतिशत लाभार्थी विधवा/परित्यक्ता/एकल एवं तलाकशुदा वर्ग से होने आवश्यक होंगे। शेष प्रशिक्षणार्थी महिलाएं योजना के दिशा निर्देशानुसार SHG/किशोरी बालिका सभी वर्ग की होगी।

7 प्रशिक्षण ट्रेड अनुसार निर्धारित अवधि में ही आयोजित किये जावे, प्रशिक्षण दिवसों में कमी नहीं की जावे।

8 प्रशिक्षण में उत्पादित श्रेष्ठ डिजाइन सेम्पल, प्रशिक्षण की तकनिकी दक्षता एवं गुणवत्ता जांचने के लिए विभाग को भेजना आवश्यक होगा।

9 प्रशिक्षण उपरान्त सभी प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार से जोड़ा जावे एवं उनका निरंतर Follow-up किया जावे।

10 उक्त स्वीकृति में अंकित प्रशिक्षण निर्धारित समयावधि अनुसार आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जावे। प्रशिक्षण कार्यादेश से एक सप्ताह में अति आवश्यक रूप से प्रारंभ कर लिए जावे।

11 स्वावलम्बन योजना के दिशा–निदेर्शो में वर्णित समस्त नियमों व शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे।

12 उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संबन्धित जिले के उपनिदेशक, मबावि/कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. द्वारा भिजवाया जावे।

13 संस्था को समस्त भुगतान सीधे उसके बैंक खाते में जमा कराये जायेंगे। अतः कार्यादेश प्राप्ति के साथ ही संस्थाओं को अपने बैंक खाते की सूचना यथा– पासबुक के फ्रन्ट पेज की फोटो प्रति, खाता नंबर, ब्रांच का नाम, बैंक शाखा का IFSC कोड अपने लेटर हैड पर जिला स्तरीय कार्यालय को भिजवानी होगी।

14 भुगतान प्रक्रिया–

संस्थाओं को भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा –

- संस्था को आदेश दिये जाने पर स्वीकृत राशि का 25% भुगतान प्रथम किश्त के रूप में किया जायेगा।

- प्रशिक्षण के संतोषप्रद पाये जाने की रिपोर्ट प्राप्त होंने पर स्वीकृत राशि का 65% भुगतान द्वितीय किश्त के रूप में किया जायेगा।
- 10% राशि का भुगतान प्रशिक्षण पश्चात संस्था द्वारा 6 माह तक फॉलोअप/हैंडलोडिंग कर स्वरोजगार से जुडने के पश्चात किया जाएगा, इस आशय का प्रमाण पत्र संस्था द्वारा संबंधित जिले के उपनिदेशक, मबावि/कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. को दिया जाएगा। प्रशिक्षित महिला द्वारा 1100 रू प्रतिमाह आय अर्जन योग्य किया जाना आवश्यक है। तत्पश्चात् शेष राशि अंतिम किश्त के रूप में भुगतान की जायेगी।
- संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम का समस्त भुगतान जिला स्तरीय कार्यालय से किया जायेगा।
- संबन्धित ट्रेड के लिए बजट प्रावधान अनुसार व्यय सीमा रखी जावे।

आयुक्त
महिला अधिकारिता
राज.,जयपुर

क्रमांक पं.15 (1)()निमअ/एसएचजी/स्वावलंबन/12–13/1253-81 जयपुर, दिनांक 11/1/13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मबावि।
2. निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
3. मुख्य लेखाधिकारी, महिला अधिकारिता, जयपुर।
4. उपनिदेशक, मबावि/कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. ....।
5. स्वयंसेवी संस्था ....
   को भेजकर सूचित किया जाता है कि प्रशिक्षण प्रांरभ करने हेतु उपरोक्त समस्त 14 शर्तो को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाए तथा भुगतान हेतु भी उपरोक्त समस्त 14 शर्तो की क्रमवार पूर्ति करने पर ही भुगतान किया जाएगा।
6. सहायक लेखाधिकारी (भुगतान) मुख्यालय।
7. लेखाकार, म.अ. मुख्यालय/क0 लेखाकार, एसएचजी
8. प्रोग्रामर, आई.सी.डी.एस. को बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक SHG
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता

क्रमांक प.15(1)() निमअ/SHG/स्वावलम्बन/12–13/1241 जयपुर, दिनांक 11/1/13

आदेश

स्वावलंबन योजना वर्ष 2012–13 के क्रम में निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक प.15(1)() निमअ/SHG/स्वावलम्बन/12–13/29364 दिनांक 12.06.2012 एवं आदेश क्रमांक प.15(1)() निमअ/SHG/स्वावलम्बन/12–13/30282–381 दिनांक 13.06.2012 के साथ संलग्न स्वावलम्बन योजना के दिशा–निर्देशों में में एतद् द्वारा आंशिक संशोधन किया जाता है। स्वावलम्बन योजना के दिशा–निर्देशों के बिन्दु "**भुगतान प्रक्रिया**" में पूर्व के प्रावधान "**प्रशिक्षण संतोषप्रद एवं निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सम्पन्न होने के प्रमाणन के बाद निदेशालय द्वारा संस्था को भुगतान निम्नानुसार किया जावेगा–**" के स्थान पर "**प्रशिक्षण संतोषप्रद एवं निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सम्पन्न होने के प्रमाणन के बाद जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा संस्था को भुगतान निम्नानुसार किया जावेगा–**" प्रावधान किया जाता है। शेष शर्ते यथावत रहेगी।

आयुक्त म.अ. एवं
शासन सचिव, मबावि
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.15(1)() निमअ/SHG/स्वावलम्बन/12–13/1242–51 जयपुर, दिनांक 11/1/13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1 निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर
2 निजि सहायक, आयुक्त, म.अ. एवं शासन सचिव, मबावि, जयपुर।
3 जिला कलक्टर, समस्त।
4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।
5 मुख्य लेखाधिकारी, महिला अधिकारिता, जयपुर।
6 उपनिदेशक, मबावि, समस्त।
7 सहायक लेखाधिकारी, महिला अधिकारिता, जयपुर।
8 कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता, समस्त।
9 प्रोग्रामर, आई.सी.डी.एस. को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10 आदेश पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक, SHG
महिला अधिकारिता,
राज.,जयपुर

D:\Letter\jan-13.doc

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता

जे–7 झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर दूरभाष न. 01415196323

क्रमांक प. 15 (1)() निमअ/SHG/स्वावलम्बन/12–13/1282 जयपुर, दिनांक 11/1/13

विज्ञप्ति

महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्वावलंबन योजना वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गो की महिलाओ एवं किशोरियो को परमपरागत एवं गैर परमपरागत क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिलवाकर उन्हें स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने हेतु गैरसरकारी संगठनों/महिला स्वयं सहायता समूहों/प्रन्यास/सहकारी समितियों इत्यादि से आवेदन पत्र निम्न जिलों (अजमेर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बून्दी, डूंगरपुर, जालौर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, सिरोही, टोंक,) के लिये आमंत्रित किये जाते है।

इस कार्य हेतु इच्छुक स्वयंसेवी संगठनो को अपने आवेदन पत्र के साथ रूपये 250/– का डी.डी. जो कि आयुक्त महिला अधिकारिता जयपुर के नाम देय है को संलग्न कर निदेशालय महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर को दिनांक 24.01.2013 सांय 5.00 बजे तक प्रस्तुत करने होंगे।

योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की बेवसाइट **www.wcd.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है।

आयुक्त
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर

D/Letter/LE I/April-2012/125